

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर
(राज०)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती संजू शर्मा, आर.ए.एस.

अपील सं० :- 66/2017

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रूडसिंह पुत्र स्व० श्री दयालचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
2. महाराम पुत्र स्व० श्री दयालचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
3. दीपचन्द पुत्र स्व० श्री लिक्ष्मन कौम अहीन निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
4. धनपत पुत्र स्व० श्री लिक्ष्मन कौम अहीन निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
5. संजय पुत्र स्व० श्री बलबीर पौत्र स्व० श्री लिक्ष्मन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
6. संदीप पुत्र स्व० श्री बलबीर पौत्र स्व० श्री लिक्ष्मन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
7. भूपसिंह पुत्र श्री बिरजू कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
7/1. राजपाल पुत्र श्री भूपसिंह पौत्र श्री बिरजू कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
7/2. मूलचन्द पुत्र श्री भूपसिंह पौत्र श्री बिरजू कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
7/3. लाली देवी पत्नी श्री भूपसिंह कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
8. चन्दर पुत्र श्री बिरजू कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
9. नन्दराम पुत्र श्री घडसा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
10. देवदत्त पुत्र श्री अमराव कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज० - फौत
10/1. गौर पुत्र श्री देवत्ता पौत्र श्री उमराव कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर

- 10/2. धमेन्द्र पुत्र श्री देवत्ता पौत्र श्री उमराव कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
- 10/3. सुलोचना पत्नी श्री देवदत्त कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
11. भानाराम पुत्र श्री मानसिंह कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० - फौत
- 11/1. तेजपाल पुत्र श्री भानाराम पौत्र श्री मानसिंह कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
- 11/2. कर्मपाल पुत्र श्री भानाराम पौत्र श्री मानसिंह कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
- 11/3. संतोष देवी पत्नी श्री भानाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
12. प्रहलाद पुत्र श्री श्रीराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
13. वेदपाल पुत्र श्री श्रीराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
14. बख्तावर पुत्र श्री रेखा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० - फौत
- 14/1. गजराज पुत्र श्री बख्तावर पुत्र श्री रेखा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
- 14/2. पप्पूसिंह यादव पुत्र श्री बख्तावर पुत्र श्री रेखा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
15. रामसिंह पुत्र श्री रेखा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
16. रतिराम पुत्र श्री रेखा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज०-फौत
- 16/1. आजाद पुत्र श्री रतिराम पुत्र श्री रेखा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
- 16/2. मनोज पुत्र श्री रतिराम पुत्र श्री रेखा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
17. प्रमोद पुत्र श्री काशीराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
18. बिल्लू पुत्र श्री काशीराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
19. भोलाराम पुत्र श्री नादाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
20. श्योराम पुत्र श्री नादाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।-

21. जर्मन पुत्र श्री जयसिंह कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
22. प्रतापसिंह पुत्र श्री जयसिंह कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
23. लख्मीचन्द पुत्र श्री मातादीन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
24. गजराजसिंह पुत्र श्री हरफूल पौत्र हरबाई कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
25. कैलाश पुत्र श्री हरफूल पौत्र हरबाई कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
26. छोटेलाल पुत्र श्री हरफूल पौत्र हरबाई कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
27. धर्मचन्द पुत्र श्री हरफूल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
28. भूपसिंह पुत्र श्री हरफूल पौत्र श्री हरबाई कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
29. संदीप पुत्र श्री राजाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
30. बनेसिंह पुत्र श्री कन्हीराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
31. सतपाल पुत्र श्री कन्हीराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
32. जगदीश पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
33. अमीलाल पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
34. सुल्तान पुत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० - फौत
34/1. रोहिताश्व पुत्र श्री सुल्तान पौत्र मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
34/2. दयाराम पुत्र श्री सुल्तान पौत्र मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
35. बनवारी पुत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
36. रामेश्वर पुत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
37. रामानन्द पुत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

38. महावीर पुत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
39. राजबीर पुत्र श्री उमराव पौत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
40. सत्यवीर पुत्र श्री उमराव पौत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
41. अमरसिंह पुत्र श्री श्योनारायण कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
42. सुला पत्नी श्री सूरजभान कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
43. मुरारी पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
44. भूपसिंह पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
45. जसवंत पुत्र श्री सोहन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
46. भोलाराम पुत्र श्री बिहारी कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
47. रविन्द पुत्र श्री ताराचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
48. हरजी पुत्र श्री चुन्ना कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
49. देवदत्त पुत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
50. लख्मीचन्द पुत्र श्री मूलचन्द कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
51. रामेश्वर पुत्र श्री नन्दलाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
52. रोहिताश पुत्र श्री नन्दलाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
53. वेद पुत्र श्री सूरजभान कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
54. राजेन्द्र पुत्र श्री सूरजभान कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
55. देशराज पुत्र श्री दौला कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
56. रंगराव पुत्र श्री श्योलाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

57. करणसिंह पुत्र श्री श्योलाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
58. पृथ्वीसिंह पुत्र श्री श्योलाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
59. जसराम पुत्र श्री श्योलाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
60. हरपाल पुत्र श्री श्योलाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
61. जगमाल पुत्र श्री नाधराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
62. भरतलाल पुत्र श्री उमराव कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
63. घीसाराम पुत्र श्री सुल्तान कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
64. रतीराम पुत्र श्री सुल्तान कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
65. रामस्वरूप पुत्र श्री भगवान कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
66. कैलाश पुत्र श्री विशम्बर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
67. महीपाल पुत्र श्री विशम्बर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
68. लीलाराम पुत्र श्री खडगा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
69. जगदीश पुत्र श्री ठण्डू कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
70. शिवलाल पुत्र श्री धनसी कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
71. दयाराम पुत्र श्री धनसी कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० - फौत
71/1. रविन्द पुत्र श्री दयाराम पौत्र श्री धनसी निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
72. अतरसिंह पुत्र श्री रणजीत कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
73. यादराम पुत्र श्री मंगला कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
74. काशीराम पुत्र श्री गाहड कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

१

75. रामकुमार पुत्र श्री बख्तावर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
76. महेन्द्र पुत्र श्री बख्तावर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
77. हीरालाल पुत्र श्री बख्तावर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
78. धर्मराज पुत्र श्री सूरजभान कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
79. हंसराज पुत्र श्री सूरजभान कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
80. सूबेसिंह पुत्र श्री मातादीन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
81. जयदयाल पुत्र श्री दीनदयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० – फौत
81/1. लोकेश पुत्र श्री जयदयाल पौत्र श्री दीनदयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
82. ग्यारसीलाल पुत्र श्री दीनदयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
83. लालाराम पुत्र श्री भोलाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
84. संदीप पुत्र श्री फूलसिंह पौत्र भोलाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
85. बलवंत पुत्र श्री भोलाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
86. रामसिंह पुत्र श्री भोलाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
87. श्रीराम पुत्र श्री इन्द्राज कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० – फौत
87/1. किशोरी पुत्र श्री श्रीराम पौत्र इन्द्राज कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
87/2. महावीर पुत्र श्री श्रीराम पौत्र इन्द्राज कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
87/3. अजय पुत्र श्री श्रीराम पौत्र इन्द्राज कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
87/4. धर्मसिंह पुत्र श्री श्रीराम पौत्र इन्द्राज कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
88. गणपत पुत्र श्री बेगराज कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

89. अशोक दोहिता मनोहर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
90. दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री हेतराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
91. रामनिवास पुत्र श्री शिवप्रसाद कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
92. जगमाल पुत्र श्री शंकर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
93. रामलाल पुत्र श्री खूबा कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
94. रामेश्वर पुत्र श्री शंकर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
95. रूडाराम पुत्र श्री फूला कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
96. सुलतान पुत्र श्री चैना कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
97. रामचन्द्र पुत्र श्री चैना कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
98. प्रतापसिंह पुत्र श्री चैना कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
99. श्रीराम पुत्र श्री रामस्वरूप कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
100. घुमीराम पुत्र श्री रामस्वरूप कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
101. नन्दराम पुत्र श्री रामस्वरूप कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
102. रामवतार पुत्र श्री रामस्वरूप कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
103. प्रताप पुत्र श्री रामस्वरूप कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
104. बहादुर पुत्र श्री रामस्वरूप कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
105. बनवारी पुत्र श्री धनसी कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
106. जगमाल पुत्र श्री प्रभदूयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
107. अमीलाल पुत्र श्री प्रभदूयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

108. अमरसिंह पुत्र श्री प्रभदूयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
109. शेरसिंह पुत्र श्रीमती चावली पत्नी श्री जयनारायण कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
110. महेन्द्र पुत्र श्रीमती चावली पत्नी श्री जयनारायण कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
111. महेश पुत्र श्रीमती चावली पत्नी श्री जयनारायण कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
112. महासिंह पुत्र श्री कालूराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
113. सुशीला पत्नी श्री दयाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
114. हंसराज पुत्र श्री दयाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
115. जयसिंह पुत्र श्री लादाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
116. मेहरचन्द पुत्र श्री लादाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
117. गोकुल पुत्र श्री लादाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
118. श्योताज पुत्र श्री गणेशाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
119. रतिराम पुत्र श्री रामदेव कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
120. खेमचन्द पुत्र श्री बहराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० -फौत
120/1. पप्पू पुत्र श्री खेमचन्द पौत्र श्री बहराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
121. झब्बू पुत्र श्री बहराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
122. कृष्ण पुत्र श्री दयाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
123. जलेसिंह पुत्र श्री दयाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
124. कैलाश पुत्र श्री दयाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
125. मनोहर पुत्र श्री नेतराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

126. शेरसिंह पुत्र श्री नन्दराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
127. राजाराम पुत्र श्री नन्दराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
128. लिष्मन पुत्र श्री नन्दराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
129. विरेन्द्र पुत्र श्री सूबेसिंह कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
130. जगमाल पुत्र श्री बेगराज कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
131. हेमराज पुत्र श्री प्रभूदयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० - फौत
131/1. महासिंह पुत्र श्री हेमराज पौत्र श्री प्रभूदयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
131/2. हुक्मचन्द पुत्र श्री हेमराज पौत्र श्री प्रभूदयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
132. नन्दलाल पुत्र श्री प्रभूदयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
133. महादेव पुत्र श्री प्रभूदयाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
134. प्रकाश पुत्र श्री काशीराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
135. जगदीश पुत्र श्री फुसाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
136. रामानन्द पुत्र श्री फुसाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
137. सत्यवीर पुत्र श्री फुसाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
138. सोहन पुत्र श्री प्रेम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० -फौत
138/1. मपसिंह पुत्र श्री सोहन पौत्र श्री प्रेम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
138/2. निहालसिंह पुत्र श्री सोहन पौत्र श्री प्रेम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
138/3. दलीप पुत्र श्री सोहन पौत्र श्री प्रेम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
138/4. कृष्ण पुत्र श्री सोहन पौत्र श्री प्रेम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व शीतल अधिकारी, अलवर

- 138/5. रामजस पुत्र श्री सोहन पौत्र श्री प्रेम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
139. श्रीराम पुत्र श्री जाखिराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० -फौत
- 139/1. गोपीचन्द पुत्र श्री श्रीराम पौत्र श्री जाखिराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
- 139/2. होशियार पुत्र श्री श्रीराम पौत्र श्री जाखिराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
140. प्रकाश पुत्र श्री बख्तावर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
141. सत्यपाल पुत्र श्री लिक्ष्मन पौत्र बोदीसहाय कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
142. बिल्लू पुत्र श्री लिक्ष्मन कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
143. रामनिवास पुत्र श्री श्योनारायण कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
144. भोलाराम पुत्र श्री झूथाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
145. छोटेलाल पुत्र श्री झूथाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
146. भगवानी पत्नी श्री रामजीलाल कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
147. जयनारायण पुत्र श्री चन्दर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
148. अमरसिंह पुत्र श्री चन्दर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
149. रामकुमार पुत्र श्री टोडाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
150. थावर पुत्र श्री टोडाराम कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
151. रामकला पुत्री श्री बलबीर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
152. इन्द्रावती पुत्री श्री बलबीर कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
153. अशोक पुत्र श्री रणजीत कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
154. चन्द्रकला पुत्री श्री रणजीत कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

155. प्रभात पुत्र श्री गुलझारी कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
156. भगवान पुत्र श्री गुलझारी कौम अहीर निवासी बिचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

..... अपीलांटान / वादीगण

बनाम

1. प्रेमदेवी पत्नी श्री विनायकदत्त जाति ब्राह्मण निवासी-653-ए., विनायक विला, विवेक विहार, श्यामनगर विस्तार लक्ष्मण पथ, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर जिला जयपुर राज० ।
2. सोमेन्द्र पुत्र श्री विनायकदत्त जाति ब्राह्मण निवासी-653-ए., विनायक विला, विवेक विहार, श्यामनगर विस्तार लक्ष्मण पथ, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर जिला जयपुर राज० ।
3. महिमा पुत्री विनायकदत्त पत्नी श्री राजेश शर्मा हाल निवासी कांति नगर, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज० ।
4. लैण्ड होल्डर जयें तहसीलदार नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।
5. उप पंजीयक जयें तहसीलदार नीमराना तहसील नीमराना जिला अलवर राज० ।

..... रेस्पों / प्रतिवादीगण

उपस्थित :-

1. श्री विनोद कुमार यादव अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री रामेश्वर दयाल अभिभाषक रेस्पों सं० 1, 2 व 3

∴ निर्णय ∴

दिनांक :-30.06.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी नीमराना के निर्णय दिनांक 30.03.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी ख० नं० 1039 रकबा 21 ऐयर, 1040 रकबा 18 ऐयर, 1041 रकबा 49 ऐयर, 1042 रकबा 16 ऐयर, 1043 रकबा 13 ऐयर, 1044 रकबा 15 ऐयर, 1045 रकबा 14 ऐयर, 1046 रकबा 16 ऐयर, 1047 रकबा 15 ऐयर, 1048 रकबा 15 ऐयर, 1050 रकबा 18 ऐयर, 1051 रकबा 17 ऐयर, 1054 रकबा 32 ऐयर, 1085 रकबा 14 ऐयर, 1086 रकबा 17 ऐयर, 1087 रकबा 15 ऐयर, 1088 रकबा 14 ऐयर, 1089 रकबा 15 ऐयर, 1090 रकबा 18 ऐयर, 1091 रकबा 18 ऐयर, 1092 रकबा 15 ऐयर, 1093 रकबा 15 ऐयर, 1094 रकबा 6 ऐयर, 1095 रकबा 10 ऐयर, 1096 रकबा 15 ऐयर, 1097 रकबा 15 ऐयर, 1098 रकबा 14 ऐयर, 1099 रकबा 30 ऐयर, 1100 रकबा 15 ऐयर, 1101 रकबा 25 ऐयर,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

1102 रकबा 25 ऐयर, 1103 रकबा 18 ऐयर, 1104 रकबा 17 ऐयर, 1104 रकबा 40 ऐयर,
1106 रकबा 46 ऐयर, 1107 रकबा 17 ऐयर, 1108 रकबा 12 ऐयर, 1109 रकबा 15 ऐयर,
1110 रकबा 14 ऐयर, 1111 रकबा 14 ऐयर, 1112 रकबा 17 ऐयर, 1113 रकबा 15 ऐयर,
1114 रकबा 15 ऐयर, 1115 रकबा 16 ऐयर, 1116 रकबा 14 ऐयर, 1117 रकबा 14 ऐयर,
1118 रकबा 14 ऐयर, 1119 रकबा 19 ऐयर, 1120 रकबा 14 ऐयर, 1121 रकबा 12 ऐयर,
1122 रकबा 13 ऐयर, 1123 रकबा 14 ऐयर, 1124 रकबा 27 ऐयर, 1125 रकबा 15 ऐयर,
1126 रकबा 16 ऐयर, 1127 रकबा 15 ऐयर, 1128 रकबा 13 ऐयर, 1129 रकबा 18 ऐयर,
1130 रकबा 16 ऐयर, 1131 रकबा 16 ऐयर, 1132 रकबा 12 ऐयर, 1133 रकबा 14 ऐयर,
1134 रकबा 15 ऐयर, 1135 रकबा 16 ऐयर, 1136 रकबा 14 ऐयर एवं 1137 रकबा 56 ऐयर
वाके ग्राम बिचपुरी तहसील नीमराना में स्थित है जो साबिक ख० नं० 771/2 रकबा 46 बीधा
से बनाये गये हैं । उक्त विवादित आराजी विनायकदत्त पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद व लक्ष्मीकांत
पुत्र श्री गंगासहाय जाति ब्राह्मण निवासी बिचपुरी की गैर खातेदारी की आराजी थी ।
बसिलसिले ये लोग बाहर चले गये । इस कारण विनायकदत्त व लक्ष्मीकांत ने अपनी
आराजी साबिक ख० नं० 771/2 रकबा 46 बीधा का बेचान 50000 रू० में बयनामा दि०
20.7.76 को खरीददारान को कर दिया । बेचान की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर बयनामा
खरीददारान को करवा दिया व मौके पर उनको कब्जा दिलवा दिया । अपीलांट/वादीगण ने
अपने-अपने हिसाब से विवादित आराजी का मौके पर बंटवारा कर लिया तथा मौके पर आज
भी विवादित आराजी के 66 नम्बर बने हुए हैं जिन पर वादीगण/अपीलांटान काबिज रहकर
शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं । दि० 20.7.76 के बाद से रेस्पो०/प्रतिवादीगण का
कोई कब्जा काश्त विवादित आराजी पर नहीं रहा । हम वादीगण के बुजुर्ग जो ग्रामीण
अनपढ़ काश्तकार थे। उन्होंने विवादित आराजी को खरीदकर इन्तकाल अपने नाम स्वीकृत
नहीं करवाया क्योंकि बयनामा पर धारा 47 ए. स्टाम्प एक्ट का आक्षेप लग गया था जिसकी
पूर्ति 1.4.06 को वादीगण द्वारा स्टाम्प कलक्टर अलवर के समक्ष 13555 रू० जमा करवा
दिये । धारा 47 ए. स्टाम्प एक्ट का आक्षेप होने के कारण बयनामों के आधार पर इन्तकाल
दर्ज नहीं हो सका । सन् 2006 में कमी पूति स्टाम्प पूरी कर बयनामा पटवारी हल्का को
इन्तकाल करवाने के लिए दिया लेकिन पटवारी हल्का ने इन्तकाल दर्ज नहीं किया व बेचान
किये जाने के बावजूद भी विनायकदत्त की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का इन्तकाल नं०
323 दि० 7.11.07 को बिना हम वादीगण को सूचना दिये व बिना मौके की जांच के इन्तकाल
स्वीकृत कर दिया । विवादित आराजी से प्रतिवादी सं० 1 ल० 3 का किसी प्रकार का कोई
लेना देना नहीं है लेकिन पटवारी से मिलकर बाला-बाला दोनों इन्तकाल तहसीलदार बहरोड़
से स्वीकार करवा लिया । प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं
है । विवादित आराजी पर वादीगण सामूहिक रूप से काबिज रहकर शांतिपूर्वक उपयोग
उपभोग कर रहे हैं । प्रतिवादी/रेस्पो० सं० 1 ल० 3 ने यह जानते हुए भी विनायकदत्त व
लक्ष्मीकांत ने विवादित आराजी को हम वादीगण को जर्ज रजिस्टर्ड बयनामा के बेचान कर
दिया व मौके पर हम वादीगण का कब्जा है जिसके बावजूद भी विरासत का इन्तकाल
बाला-बाला अपने नाम दर्ज करवा लिया । उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर विवादित
आराजी को अपनी बताकर दीगर जगह रहन, बय, हिबा व मुन्तकिल कर सकते हैं या किसी
दीगर व्यक्ति को औने-पौने दाम पर बयनामा कर सकते हैं । विद्वान तहत न्यायालय ने

दावा दर्ज रजिस्टर कर रेषु० को तलब किया । प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र दि० 30.3.2017 स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दि० 30.03.2017 से व्यथित होकर अपीलान्त ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेषु० को जर्दे सम्मान तलब किया जाकर तहत न्यायालय की पत्रावली तलब करते हुए दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र में कोई भी कारण नहीं लिखा गया है । माननीय राज० उच्च न्यायालय ने अपने कानूनी विनिश्चय डी.एन.जे. 2011 पार्ट 3 राज०पेज 1166 में प्रतिपादित किया है कि प्रतिवादीगण को आदेश 7 नियम 11 में जो कारण दिये गये हैं उन्हें न्यायालय को दावे की ऑफिस रिपोर्ट के समय ही देखना चाहिए । माननीय राजरव मण्डल अजमेर द्वारा अपने कानूनी विनिश्चय आर.आर.डी. 2001 पेज 160 में प्रतिपादित किया है कि न्यायालयों को आदेश 7 नियम 11 के आधार पर वाद खारिज नहीं करने चाहिए । क्षेत्राधिकार के बिन्दु को भी जवाब दावा में लेकर व तनकीयात बनाकर ही तय करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण का वाद पत्र मैरिट पर दोनों पक्षों को सुनकर तथा दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर तनकीयात बनाकर तय करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार आदेश पारित किया है वह सही मायने में आदेश की तारीफ में नहीं आता है । इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय को देखने की कोई पावर नहीं थी कि प्रतिवादीगण के बुजुर्ग जो कि गैर खातेदार थे उन्हें गैर खातेदारी के आधार पर विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था । विक्रय प्रतिवादीगण के बुजुर्गों द्वारा अपनी स्वेच्छा से किया गया है जिसका बयनामा कराया गया है । सरकार को रटाम्प ड्यूटी अदा की गई है । तहत न्यायालय ने केवल काल्पनि आधार पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों से हटकर गलत आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र का निर्णय करते समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41, 42, 43 का उल्लेख किया है जबकि इस स्टेज पर धारा 41, 42, 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी व ना ही धारा 41 के तहत इस प्रकार की कोई शर्त है कि गैर खातेदार को विक्रय अथवा हस्तान्तरण करने का कोई हक व अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है क्योंकि प्रतिवादीगण का जवाब दावा बहुत पहले ही आ गया था । इसलिए तनकीयात कायम कर प्रकरण का निरस्तारण करना चाहिए था । विवादित आराजी पर दि० 20.7.76 से वादीगण काबिज रहकर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज काश्त हैं । प्रतिवादीगण व उनके बुजुर्गों का दि० 20.7.76 के बाद से कभी भी कब्जा नहीं रहा । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में डी.एन.जे. 2013 पेज 1775, डी.एन.जे. 2011 पेज 1066 प्रस्तुत की ।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक रेषु० सं० 1 ल० 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने जो बयनामा कराया है वह गैर खातेदार से कराया है ।

कानूनन गैर खातेदार द्वारा बयनामा नहीं कराया जा सकता है और यदि बयनामा कराया है तो वह शून्य है । इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की नजीर 2015 आर.आर.टी. पेज 958 से स्पष्ट है । वादीगण ने बयनामा के आधार पर इस्तकरारहक का दावा दायर किया है । कानूनन इस्तकरारहक का दावा केवल टिनेन्ट व सब टिनेन्ट ही कर सकता है । बयनामा के आधार पर इस्तकरारहक का दावा चलने योग्य नहीं है । इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल की नजीर 2001 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 11 जिसमें यह माना है कि खरीददार द्वारा दावा दायर किया जावे जो दावा चलने योग्य नहीं है । तहत न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में बताये गये कारणों के अलावा भी यदि दावा किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं है तो उसे सैक्शन 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत खारिज करने का पूरा अधिकार है । मौजूदा प्रकरण में वादीगण ने विवादित आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा गैर खातेदार से खरीद किया जाना बताया है तथा गैर खातेदार द्वारा कराया गया बयनामा शून्य है जिस स्थिति में वादीगण का वाद किसी भी स्थिति में चलने योग्य नहीं है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ का निर्णय 2008 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 1390 में प्रतिपादित किया है । वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है किन्तु इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर 2016 आर.बी.जे. पेज 514 है जिसमें यह माना है कि प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है । अभिभाषक अपीलांट ने बहस में यह बताया था कि कानूनन तनकी बनाकर निर्णय करना चाहिए जो तर्कसंगत नहीं है । तहत न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसमें निवेदन किया कि गैर खातेदार द्वारा कराया गया बयनामा शून्य है । यह बिन्दु कानूनी है जिसमें साक्ष्य की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि इस प्रकरण में कानूनी बिन्दु है जिस स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सही तौर पर स्वीकार किया है । तहत न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर उचित निर्णय पारित किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2015 पेज 958, आर.एल.डब्ल्यू. 2001 पेज 11, आर.एल.डब्ल्यू. 2008 पेज 1390 एवं आर.बी.जे. 2016 पेज 514 प्रस्तुत की ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 में प्रतिपादित किया गया है कि धारा 42 तथा धारा 43 में उल्लेखित शर्तों के अधीन खातेदार आसामी का हित उप पट्टे के अलावा अन्य तरीके से हस्तान्तरण नहीं होगा । उप धारा की टिप्पणी सं0 2 में भी अभिनिर्धारित किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 के अनुसार गैर खातेदार को आराजी विक्रय करने अथवा हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान उप निवेशन अधिनियम 1954 में प्रावधित किया गया है कि कोई आसामी उसे आवंटित की गई या निलामी पर दी गई आराजी का जिला कलक्टर की लिखित स्वीकृति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, दान व विनिमय नहीं कर सकेगा । विद्वान अभिभाषक रेस्पों का भी उनकी लिखित बहस में भी यही तर्क है कि वादीगण ने जो बयनामा कराया है वह गैर खातेदार से कराया है । कानूनन गैर खातेदार द्वारा बयनामा नहीं कराया जा सकता है और यदि बयनामा कराया है तो वह शून्य है । अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड से जाहिर है कि विवादित आराजी का जो बयनामा कराया

मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

गया है वह गैर खातेदार से कराया गया है जिसके बाबत जिला कलक्टर द्वारा लिखित स्वीकृति प्रस्तुत प्रकरण में पेश नहीं की गई है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो बयनामा गैर खातेदार द्वारा किये जाने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 41 के अन्तर्गत विधि वर्जित पाया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादीगण का जो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और वादीगण का जो वाद खारिज किया गया है, वह सही खारिज किया गया है । इसलिए अपीलांत की अपील खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, नीमराना के निर्णय दिनांक 30.03.2017 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर